

प्रधक.

एच०ष्ट० सिंह

विशेष लाइन

उ०प्र० शासन।

संवा में

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास प्रोजेक्टरण,

उ०प्र० लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से बी०एस०य०षी० योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-वाराणसी व कानपुर की 02 परियोजनाओं हेतु मूल्य वृद्धि के रूप में की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5328/76/एक/बी०एस०य०षी०/म००वृद्धि/2014-15, दिनांक 19 मार्च, 2015 व पत्र संख्या-5261/76/एक/बी०एस०य०षी०/म००वृद्धि/2014-15, दिनांक 16 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से बी०एस०य०षी० योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-वाराणसी की नगर निकाय-वाराणसी की 575 आवासों के सापेक्ष 26 आवासों व जनपद-कानपुर नगर की निकाय-वरगदियापुरवा की 284 आवासों के सापेक्ष 78 आवासों की कुल 02 परियोजनाओं हेतु क्रमशः रु० 131.33 लाख व रु० 478.55 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से प्रश्नगत परियोजना में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-11 में अंकित परियोजना लागत में हुई मूल्यवृद्धि की धनराशि क्रमशः रु० 49.58 लाख व रु० 130.55 लाख अर्थात् कुल रु० 180.13 लाख (रूपये एक करोड़ अस्सी लाख तेरह हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 से शासनादेश संख्या-406/2015/951/69-1-15-14(75)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी०एल०ए० में संरक्षित धनराशि में से आहरित कर व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय क्रमशः.....2


भृपूर्णा/भृपतुल/भृप्रेषण

T  
5/6/15

सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रक्रिया का स्टॉकलेशन अनुमन्य न होगा।

4. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी पारवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथाप्रक्रिया योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम द्वारा निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेगा।
5. उक्त परियोजना हेतु अंतिम किश्त की धनराशि को सम्बन्धित सूडा/डूडा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष देय/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ एवं सम्बन्धित डूडा द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मत्तन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जारी ही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-298/दस-2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. परियोजना में सम्मिलित केन्द्रांश व राज्यांश एवं लाभार्थी अंश की अनुमन्यता की सीमा तक व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व सूडा/डूडा का होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त किश्तों की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में सूडा/डूडा स्वयं सन्तुष्ट हो लेंगे। यदि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक धनराशि अवमुक्त की जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सूडा/डूडा का होगा।
10. परियोजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में 30प्र० के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित


- अर्थात् के दाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुख्य शास्त्र नहीं वापस करनी होगी।
32. निदेशक सचिव, राज्य नगरीय विभास आमंत्रण, उ०७०, लखनऊ आहरण की वर्णन घर अपने लिखा का मिमान सहालेखाकार के कार्यालय के रेड से अदर्श करायेगा।
  13. उक्त स्वीकृत धनराशि आवटित 'वारद्यव' के अन्तर्गत होने एवं प्रत्यन्त संस्थाओं के दैरावतित/पुनरावृतित न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यालयी संस्था से एम०ओ०य० (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई या यथावश्यक अनुबन्ध (एम०ओ०य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
  15. योजना मे अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अन्तर्गत-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/उ-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 मे विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक मे जमा की जायेगी।
  16. लेवर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को वास्तवित रूप से किया जायेगा।
  17. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अन्तिम होगी। अविष्य मे उक्त परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रूप मे कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  18. कार्यालयी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एम०एल०एन०ए० (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना मे राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि, यदि कोई हो तो उसे राजकोष मे जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
  19. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम०ओ०य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
  20. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30.09.2015 से पूर्व आहरित कर व्यय कर ली जाय।
  21. भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि को यथाशीघ्र भारत सरकार को वापस किया जाना सूडा सुनिश्चित किया जायेगा।
  22. सूडा द्वारा शासनादेश सं०-मु०स०-२९/६९-१-१४-१४(६२)/२०१३, दिनांक 05.11.2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-२/२०१५/बी-१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
 (एच०पी० सिंह)  
 विशेष सचिव।

संतरका।

सं.	जनपद	महाराष्ट्र	संग्रहालय	संग्रहालय	संग्रहालय का	अवल	काउन्सि	प्रबोधित	प्रवर्गीकृत	प्रवर्गीकृत
	परियोजना	लागत	परामर्श	परामर्श	का अभावी हो	वर्कशैर	१०६००	परियोजना	परियोजना	लागत
१.	परियोजना	लागत	परामर्श	परामर्श	का अभावी हो	वर्कशैर	१०६००	परियोजना	परियोजना	लागत
	कृष्ण आवासी	जटाव	संग्रहालय तथा परियोजना	इन्‌ पर्याय	को अभावी हो संग्रहालय का दृष्टिकोण	वर्कशैर	८०८०	परियोजना	परियोजना	लागत
	की रास्ता	आवासी	के अभावी हो संग्रहालय का दृष्टिकोण	वर्कशैर	परियोजना के अभावी हो संग्रहालय का दृष्टिकोण	वर्कशैर	८०८०	परियोजना	परियोजना	लागत
	कौशिकी	को लागत	के अभावी हो संग्रहालय का दृष्टिकोण	वर्कशैर	परियोजना के अभावी हो संग्रहालय का दृष्टिकोण	वर्कशैर	८०८०	परियोजना	परियोजना	लागत
	आवासी	के परियोजना	को लागत	लागत	के अभावी हो संग्रहालय का दृष्टिकोण	वर्कशैर	८०८०	परियोजना के अभावी हो संग्रहालय का दृष्टिकोण	परियोजना	लागत
	संस्था ।	लागत,	के अभावी हो कुछ लागत	लागत	के अभावी हो कुछ लागत	लागत	८०८०	परियोजना के अभावी हो कुछ लागत	परियोजना	लागत
			के अभावी हो कुछ लागत	लागत	के अभावी हो कुछ लागत	लागत	८०८०	(लाभार्थी	(लाभार्थी	परामर्श
			परियोजना	लागत	परियोजना	लागत	८०८०	अवासी	अवासी	परामर्श
			लागत)		लागत)		८०८०	परियोजना	परियोजना	परामर्श
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१.	दरामसी	2317.73	26	104.80	£3.71	20.14	2904.31	131.33	123.43	49.58
२.	कालपुर/ दरामसी- 416/284	1357.65	78	372.87	321.04	1.48	1742.43	478.55	453.07	130.55
	योग									180.13

(रूपये एक करोड़ अस्सी लाख तेरह हजार मात्र)।

  
 (एच०पी० सिंह)  
 विशेष सचिव।